-71-

॥ स्वच्छ हरियाणा-स्वस्थ हरियाणा ॥

हरियाणा में गौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानक संहिता

No. 48-2017/Ext .] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 17, 2017 (PHALGUNA 26, 1938 SAKA)

M.S.P.

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

हरियाणा, पंचकूला

हरियाणा सरकार
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
हरियाणा, पंचकूला
अधिसूचना

संख्या 2092–ए०एच०–4–2017/3098 17 मार्च, 2017

हरियाणा राज्य में गौशालाओं को स्पष्ट और सरल प्रक्रियाओं, गतिविधियों और दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करने के उद्देश्य हेतु हरियाणा में गौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानक संहिता का प्रकाशन हरियाणा सरकार की मंजूरी अनुसार किया जा रहा है।

हरियाणा मेंगौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानक संहिता

परिभाषा

गौशाला एक ऐसी संस्था है जिसे बेसहारा, परित्यक्त, विकलांग एवं कमजोर गौवंश के कल्याण, आश्रय, सुरक्षा व पुनर्वास हेतु स्थापित किया गया हो; इसके साथ ही गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आश्रित गौवंश का कम से कम 15 प्रतिशत उत्पादक गायों का होना आवश्यक हों।

उद्देश्य

गौशाला की स्थापना का उद्देश्य पशुओं को आश्रय देना, सुरक्षा प्रदान करना, चारा, ईलाज और कमजोर, बीमार, घायल, विकलांग और परित्यक्त पशुओं के पुर्नवास करना है।

हरियाणा राज्य में गौशालाओं द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम मानक गतिविधियाँ, प्रकिया और आचरण बनाए रखे जाने हैं:–

गौशालाओं में गौवंश के आने पर की जाने वाली गतिविधियाँ

बेसहारा पशु जिनको सड़कों व गलियों में से लाया जाता है वो सामान्य रूप से कमजोर, कभी–कभी घायल, पीड़ित और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और इन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। गौशाला परिसर में आए गौवंश का कल्याण सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी गौशाला कर्मचारियों की होगी।

गौशाला में गौवंश के आने पर की जाने वाली कार्यवाही निम्न प्रकार होगी :–

1. गौशाला में पहुंचने वाले प्रत्येक गौवंश को 12 अंकों का विशिष्ट टैग लगाना ।
2. रजिस्टर/कम्प्यूटर में एक समुचित रिकार्ड रखना।
3. सभी गौशालाओं में एक ''पशु पहचान रजिस्टर" प्रबन्धक के कार्यालय में रखा जाएगा जो दैनिक आधार पर पूर्ण किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित रिकार्ड रखा जाएगा:–
   क) गाय, बैल, बहड़ी, नर व मादा बछड़ियों की संख्या।
   ख) पशु की मुख्य पहचान जिसमें रंग, नस्ल, सींगों की आकृति इत्यादि हों।
   ग) स्थान जहां से पशु लाया गया है।
   घ) किस के द्वारा पशु लाया गया है।
4. प्रत्येक बछड़े/गाय/बैल को किसी चोट, विकलांगता या बीमारी की पूर्ण तौर से जांच की

जानी है व इसकी जानकारी "चिकित्सा रजिस्टर" में पशु चिकित्सक/पैरा पशु चिकित्सक द्वारा उपचार के सुझाव सहित दर्ज की जाएगी।

5. सभी नये आने वाले पशुओं को 10–14 दिनों के लिए अलग शैड में रखा जाना चाहिए, जिससे वे जल्द ठीक हो सकें । स्वस्थ पशुओं में संक्रमण रोकने के लिए यह जरूरी है। बीमार व घायल पशुओं को ईलाज हेतु अलग शैड में रखा जाना चाहिए।
6. यदि प्रभावित पशु में संक्रमण बनी रहती है तो उसके ठीक होने तक उसे अलग वार्ड में ही रखा जाये।
7. आपातकालीन चिकित्सा वाले पशुओं को अलग रखना और उनका बिना किसी देरी के ईलाज किया जाना है।
8. अलग रखने की अवधि के बाद भी यदि पशु को ईलाज की आवश्यकता है तो उसे नजदीकी पशु चिकित्सा औषधालय/चिकित्सालय में भेजा जाना चाहिए या पशु चिकित्सक/पैरा पशु चिकित्सक की निगरानी में उपचार होना चाहिए।
9. उन गायों को जिन्हें आगे के ईलाज की आवश्यकता नहीं है उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों अनुसार संबंधित शैड में रखना चाहिए :–
   - क) दुधारू गायें
   - ख) बहड़ियाँ
   - ग) गर्भित गायें
   - घ) गैर गर्भित और सुखी गायें
   - ङ) कमजोर, दुर्बल और अंधी गायें
   - च) सांड़ों को गायों के शैड से दूर अलग स्थान पर
   - छ) संक्रमित पशु को अलग वार्ड में रखा जाना है जैसा क्रम संख्या 5 में दर्शाया गया है।
10. कमजोर व दुर्बल पशुओं को कम से कम भीड़ वाले शैड में रखा जाना चाहिए जिससे उनकी उचित देखभाल व चारे की व्यवस्था हो सके। इसमें वृद्ध, अन्धे व लगड़े पशु शामिल हैं।
11. पशुपालन विभाग के मानदण्डों अनुसार पशु का कृमिनाशक उपचार और टीकाकरण (एच0एस0, ब्रुसीलोसिस और एफ0एम0डी0) किया जाना चाहिए।
12. गौशाला श्रमिकों (ग्वाला) को पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नये आये पशु को चारा खिलाने व उचित देखभाल के लिए सावधानी सुनिश्चित करने बारे उचित जानकारी दी जायेगी।

गौशालाओं के समुचित संचालन के लिए सामान्य दिशा निर्देश :–

आगे वाले पैराग्राफ में दिशा–निर्देश सामान्य प्रकृति के हैं और कार्यान्वयन की विधि के सम्बन्ध में अलग–अलग स्थान पर थोड़ा भिन्न हो सकते हैं।

वर्ग 'क' :– आवश्यक दिशा निर्देशः–

निम्न दिशा निर्देश आवश्यक प्रकृति के हैं जिनका राज्य की सभी मान्यता प्राप्त गौशालाओं द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है:

1. गौशाला के पास विभिन्न श्रेणियों के पशुओं को दीर्घकालिक आधार पर रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। एक शैड जिसका आकार 120X33' हो, में 200 गौवंश पशु रह

सकते हैं।

2. एक गौवंश के आश्रय के लिए कम से कम निम्न स्थान की आवश्यकता है:–
   - क) गाय– 20 वर्ग फुट
   - ख) सांड़– 30 वर्ग फुट
   - ग) बछड़ा– 15 वर्ग फुट
3. पशु के उचित रख–रखाव और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम रख–रखाव राशन एवं हरे चारे व सुखे चारे की व्यवस्था की जानी है। पशु को जहां तक संभव हो निर्धारित औसत राशन अनुसार दाना व चारा दिया जाना चाहिए। सभी श्रेणियों जिसमें युवा बछड़े, बहड़ियाँ, दुधारू गाय, सुखी व गर्भित गाय, वृद्ध गाय, बीमार गाय, बैल व प्रजनन सांड़ों को सिफारिशी औसत राशन दिया जाना है जो अनुलग्नक–।। में दिया गया है।
4. पशु शैडों में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
5. सभी शैड हवादार होने चाहिए ताकि साफ हवा पशुओं को मिलती रहे तथा पर्याप्त धूप भी होनी चाहिए। शैड में व इसके आसपास रात के दौरान पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. पशुपालन विभाग के मापदण्ड़ों अनुसार गौशालाओं में रखे गये पशुओं का टीकाकरण किया जाना चाहिए (अनुलग्नक– ।)। इसका उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
7. विभिन्न श्रेणियों के पशुओं का समय–समय पर कृमिनाशक उपचार किया जाना चाहिए।
8. सभी प्रभावित पशुओं के उपचार का दैनिक रिकार्ड "चिकित्सा रजिस्टर" में रखा जाना चाहिए।
9. गौशालाओं में उपलब्ध पशुओं के लिए 35–40 लीटर प्रति व्यस्क गाय/सांड और 3–5 लीटर प्रति बछड़े के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। गौशालाओं में पीने का साफ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। 120'X33' के आकार के शैड में 7'X5'X2' आकार के कम से कम 2 जल कुंड होने चाहिए।
10. गायों के गौबर का निपटान सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए।
11. बीमारी व संक्रमण से बचने के लिए बायोमैडिकल वेस्ट को साप्ताहिक आधार पर पेशेवर एजेंसी को निपटान हेतु दिया जाना चाहिए।
12. पशुओं की मृत्यु बारे कारणों सहित अलग से बनाये गये "मृत्यु रजिस्टर" में उचित रिकार्ड रखना चाहिए।
13. गौशाला में किसी असामान्य उच्च मृत्यु दर के मामले में गौशाला के अधिकारी द्वारा अविलम्ब संबंधित उपनिदेशक, पशुपालन को सूचित किया जाना चाहिए।
14. ऐसे मामलों में असामान्य मृत्यु दर के कारणों की उचित ढंग से जांच, विश्लेषण और संभव सुधारात्मक कार्यवाही पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अमले द्वारा तुरन्त की जानी चाहिए।
15. मृत पशु शरीरों के निपटान का प्रबन्ध गौशाला से उचित दूरी पर किया जाना चाहिए।
16. सभी अनुपयोगी और प्रजनन के लिए अवांछित सांड़ों का बधियाकरण किया जाएगा और प्राकृतिक गर्भधारण के लिए यदि आवश्यक हो तो अच्छी गुणवत्ता के प्रजनन सांड़ रखे

जाने चाहिए।

17. गौशालाओं के लेखा सम्बन्धी विवरण, जिसमें दान के श्रोत शामिल हों, पारदर्शी तरीके से बनाये जाये व उनकी प्रतिष्ठित चार्टड अकाउंटेंट से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट/बैलेंस सीट उचित तरीके से बनाई जानी चाहिए और जांच के लिए यह उपलब्ध रहे।
18. सभी गौशालाओं में निम्नलिखित अभिलेखों/रजिस्टरों को बनाए रखना चाहिएः–
    - क) पशु पहचान रजिस्टर ।
    - ख) चिकित्सा रजिस्टर ।
    - ग) गौशालाओं में प्रतिदिन श्रेणीवार आने वाले पशुओं के विवरण हेतु दैनिक रजिस्टर।
    - घ) मृत्यु रजिस्टर जिसमें मृत्यु का विवरण हो।
    - ङ) गौशाला में प्राप्त दान के विवरण सहित आवश्यक लेखा दस्तावेज।
    - च) सरकार की विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त अनुदान सहायता का रजिस्टर।
19. बड़ी गौशालायें, जिसमें 2000 या इससे अधिक पशुओं की संख्या हो उसके परिसर में एक पशु चिकित्सा औषधालय आवश्यक है।

वर्ग 'ख' :– अनुशंशात्मक दिशा निर्देश

नीचे वर्णित दिशा–निर्देश आमतौर पर सभी गौशालाओं के लिए अनुशंशात्मक है जिनकी कार्यान्वयन की विधि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती है।

1. स्वावलम्बन की ओर बढ़ने के लिए सभी गौशालाऐं कम से कम 15 प्रतिशत् उत्पादक पशु रखेंगी। उत्पादक पशुओं का विवरण अलग से "उत्पादक पशु रजिस्टर" में रखा जाएगा।
2. गौशाला में पशुओं के खान–पान की जमीन आधारित (चरागाह) व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. यदि गौशाला में गायों को चारा खुरली में खिलाया जाता है तो सुनिश्चित करें की खुरली का डिजाईन ठीक होना चाहिए।
4. गौशाला में गऊओं को स्वस्थ रखने हेतू पूरी मात्रा में सम्पूर्ण आहार हरा व सूखा चारा पोषक तत्वों सहित खिलाया जाना चाहिये। सभी वर्गों जैसे बछड़ों, बछड़ियों, दुग्ध देने वाली गाय, सूखी गाय, गर्भवती गाय, बैल इत्यादि हेतु आवश्यक चारे की जरूरी मात्रा अनुलग्नक–।। में दर्शाई गई है।
5. गौशालाओं द्वारा वर्ष में दो बार (अप्रैल/मई व अक्तूबर/नवम्बर) में सूखे चारे का भण्डारण किया जाना चाहिए ताकि यह खराब ना हो। हरे चारे की कमी के समय गौशालाओं द्वारा साइजेज तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
6. गाय के गोबर व मूत्र की जीवाणुओं के उपयोग द्वारा जैविक खाद का उत्पादन तथा अन्य पंचगव्य पदार्थ बनाने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए।
7. गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु अनुलग्नक–।।। में वर्णित गतिविधियाँ अपनाने के प्रयास करने चाहियें।
8. गौशालाओं में उत्तम नस्ल के गौवंश की पहचान व वृद्धि हेतु सभी प्रयाय किये जाने चाहिए। इनकी जानकारी "उत्कृष्ट गौवंश रजिस्टर" में अलग से रखी जानी चाहिए।

9. गायों के लिए शैडों से बाहर घूमने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए खुली जगह शैडो की जगह से चार गुणा होनी चाहिए।
10. गौशालाओं में पर्याप्त छायादार वृक्ष लगाये जायें ताकि गौवंश आसानी से ग्रीष्म ऋतु में इन वृक्षों की छाया में आराम कर सकें।
11. 18 माह से कम आयु के नकारा बछड़ों का बधियाकरण किया जाये।
12. गौशालाओं को उत्पादक गायों के प्रजनन हेतु कृत्रिम गर्भाधान की प्रणाली अपनानी चाहिए जिसके लिए अलग से पंजिका में रिकार्ड रखा जाये।
13. गौशालाओं की गाड़ियाँ यदि हों, औजारों व मशीनरी हर समय कार्य करने की हालत में रहने चाहिए और लागबुक जहां आवश्यक हो रखनी चाहिए।
14. गौशालाओं में गौवंश की संख्या कम करने के लिए गौवंश का वितरण/विक्रय करना चाहिए। इनका सभी विवरण "पशु विक्रय रजिस्टर" में रखा जाना चाहिए।
15. गौशाला में गायों की चोरी/तस्करी को रोकने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
16. स्वच्छता बनाये रखने, रोगों की रोकथाम व संक्रमण रोकने के लिए:–
    - क) पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान होने चाहियें।
    - ख) गायों के गोबर को खुले में न रखकर, गायों शैडों, चारा भण्डार व पानी की खुरली से दूर गड्ढ़े में रखा जाना चाहिए। मल निकासी की पर्याप्त व उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
    - ग) आगुन्तकों द्वारा लाए गए भोजन, सब्जी और फल पशुओं को खिलाने से पूर्व उनकी अच्छी प्रकार से जांच होनी चाहिए।
    - घ) पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
17. समय–समय पर, वर्ष में कम से कम दो बार, गौशालाओं के स्टॉफ की ट्रेनिंग की व्यवस्था पशु के कल्याण हेतु होनी चाहिए।
18. गौशालाओं में उपयुक्त प्रबन्धन हेतु, निम्न रजिस्टर गौशाला में रिकार्ड हेतु होने चाहिए:–
    - क) उत्पादक पशु रजिस्टर
    - ख) उत्कृष्ट पशु रजिस्टर
    - ग) कृत्रिम गर्भाधान रजिस्टर
    - घ) सूखे व हरे चारे की भण्डार रजिस्टर
    - ड) कन्ज्यूमेबल व नान कन्ज्यूमेबल रजिस्टर
    - च) फार्म मशीनरी रजिस्टर
    - छ) पशु विक्रय रजिस्टर

गौशालाओं का वर्गीकरण

न्यूनतम मानक आचरण को व्यवहार में लाने व अमल करने हेतू राज्य पर्यवेक्षण ईकाई द्वारा निरिक्षण कर गौशालाओं को दो वर्गो– वर्ग 'क' व वर्ग 'ख' में विभाजित किया जाएगा।

प्रत्येक राज्य पर्यवेक्षण ईकाई जोकि विशेषज्ञों की समिति होगी का गठन सरकार द्वारा किया जाएगा। इन इकाइयों में निम्न में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा:–

- क) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा
- ख) हरियाणा गौ सेवा आयोग

970

ग) हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

घ) एन.डी.आर.आई./एन.डी.डी.बी./लुवास का एक विशेषज्ञ

इन इकाईयों द्वारा गौशालाओं का भ्रमण कर उन्हें वर्ग 'क' व वर्ग 'ख' में विभाजित किया जाएगा जोकि दो वर्ष तक मान्य होगा। इसके उपरान्त् ये इकाईयाँ गौशालाओं का पुनः भ्रमण कर वर्ग विभाजन को नवीनीकृत करेंगी।

जो गौशालाऐं इस संहिता के 80 प्रतिशत् या अधिक निर्देशों को व्यवहार में लायेंगी, वे गौशालाऐं 'क' वर्ग में आयेंगी तथा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पाने की पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, ब्लाक स्तर पर 'क' वर्ग की गौशालाऐं पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ''इन्फरमरिज'' घोषित की जायेंगी।

वे गौशालाऐं जो इस संहिता के 60 से 80 प्रतिशत् निर्देशों को व्यवहार में लायेंगी, उनको वर्ग 'ख' में रखा जाएगा। 'ख' वर्ग की गौशालाओं को संहिता के दिशा निर्देशों का और अधिक पालन करके वर्ग 'क' में आने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऐसी गौशालायें जो न ही वर्ग 'क' या 'ख' वर्ग में हैं उनको अवर्गीकृत गौशाला माना जाएगा। सभी अवर्गीकृत गौशालाऐं इस संहिता के निर्देशों को अपनाकर एक वर्ष की अवधि में वर्ग 'क' या वर्ग 'ख' में आने का प्रयास करेंगी। यदि कोई गौशाला लगातार दो वर्षों की अवधि तक अवर्गीकृत रहती हैं तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

(रजनी सेखरी सिबल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

अनुलग्नक– I

पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी टीकाकरण व कृमिरहित किये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम तालिका

क्रम संख्या	वैक्सीन / टीके का नाम	पशु जाति	टीकाकरण की उम्र	टीकारकरण का समय
1	मुहॅखुर रोग टीकारण	गौवंश	6 महीने से शुरू	साल में दो बार प्रथम चरण अप्रैल मास व द्वितीय चरण अक्तूबर
2	गलघोटू	गौवंश	6 महीने से शुरू	साल में दो बार प्रथम चरण जून मास व द्वितीय चरण दिसम्बर मास
3	ब्रुसेला टीकाकरण	गौवंश बछड़ा / बछड़ियाँ	0–4 महीने से शुरू	साल में किसी भी समय उम्र अनुसार
4	कृमिरहित करना	गौवंश बछड़ा / बछड़ियाँ, व्यस्क	15 दिन से शुरू	हर 6 मास बाद पुनः टीकाकरण

अनुलग्नक– II

गौशाला में विभिन्न वर्गों के गौवंश के आहार सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	गौवंश का वर्ग	हरे चारे का मात्रा कि0 / प्र0दिन	सूखा चारा कि0 / प्र0दिन	दाना कि0 / प्र0दिन
1	युवा बछड़ा / बछड़ियॉ, (6 महीने तक)	0.5–1.0	0.5–1.0	0.3–0.5
2	बड़े बछड़ा / बछड़ियाँ (6–12 महीने)	1.0–2.0	1.0–1.5	0.5–1.0
3	बछड़ी	10–15	1.5–2.0	0.5–1.0
4	दुग्ध देने वाली गाय (देशी नस्ल)	15–20	2.0–3.0	1.5–2.0
5	सुखी व गर्भावस्था वाली गाय	15–20	2.0–3.0	1.5–2.0
6	बैल	25–30	3.0–4.0	2.0–3.0
7	प्रजनन सांड़	30–40	4.0–5.0	3.0–4.0
8	वृद्ध गाय / बैल	15–20	2.0–3.0	1.5–2.0
9	वृद्ध प्रजनन सांड़	25–30	2.0–3.0	2.0–2.5

अनुलग्नक–।।।

विभिन्न गतिविधियाँ जो गौशालाओं को स्वावलम्बी तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतू सहायक होंगे:–

1. गौशालाएँ बड़े पैमाने में जैविक खाद का उत्पादन करें ताकि यह जैविक खाद जैविक खेती के लिए उपयोग में लाई जा सके।
2. जड़ी–बूटियों और गौ–मूत्र का उपयोग करके हर्बल कीटनाशक का उत्पादन करें, ताकि इन कीटनाशकों का विक्रय किया जा सके।
3. उर्जा एवं ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के मध्यनजर बायोगैस का उत्पादन करना।
4. जैव कीटनाशकों तथा आयुर्वेदिक औषधी जैसे पंचगव्य पदार्थों का उत्पादन करना।
5. देसी गौवंश के ए–2 दुग्ध तथा ए–2 दुग्ध के उत्पाद जैसे, ए–2 दही, ए–2 खोया, ए–2 पनीर, ए–2 खीर आदि हेतू अलग से बिक्री केन्द्र गौशाला में होना चाहिये।
6. नई तकनीक अपनाना, जैसे कृत्रिम गर्भाधान (उच्च कोटि के देसी सांडों के वीर्य द्वारा), इम्ब्रीयो ट्रांसफर टैक्नोलोजी तथा इनवीट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा गौवंश की नस्लों को उत्तम बनाना।
7. बैलों का उपयोग खेती के कार्यों तथा बिजली उत्पादन के लिये किया जा सकता है। इसके साथ बधियाकरण करके गौशाला के बैलों को गरीब किसानों को उपलब्ध करवा देना चाहिए जो खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने में सक्ष्म नहीं हैं।
8. औषधीय पौधों की खेती करना।

(रजनी सेखरी सिबल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
HARYANA, PANCHKULA
Notification

No. 2092-AH-4-2017/3098 **Dated: 17th March, 2017**

The Haryana Code of Minimum Standards of Processes and Procedures (MSPs) for Gaushalas are notified as per approval of the Government to lay down clear, precise and simple processes, procedures and guidelines for running a Gaushala in an effective manner for welfare of the cattle in the State of Haryana:

The Haryana Code of Minimum Standards of Processes and Procedures (MSPs) for Gaushalas:

Definition :-

A Gaushala is an organization/institution setup for shelter, protection, rehabilitation, care and welfare of stray, abandoned, handicapped and infirm cattle housed in the premises of the gaushala; alongwith a herd of at least 15% prodeuctive cattle in, an endeavour to move towards self sustainability.

Purpose :-

The purpose of setting up a gaushala is to shelter, protect, feed, treat and rehabilitate weak, sick, injured, handicapped and abandoned stray cattle.

The following Minimum Standards of Practices, Processes and Procedures are to be maintained by Gaushalas in the State of Haryana:

Actions to be taken when cattle arrive in Gaushalas :-

Stray cattle picked up from the roads and streets are normally weak, sometimes wounded, disoriented and traumatised and require urgent medical attention. The Gaushala staff would be responsible for ensuring their welfare once the cattle are in the Gaushala premises.

The sequence of action required to be taken on arrival of the cattle at a Gaushala is as follows:-

1. Every animal reaching the Gaushalas should be tagged with a unique twelve digit ear tag on the arrival of the cattle at Gaushala.
2. A proper record is to be maintained in the appropriate register/computer.
3. All gaushalas must maintain a "Animal Identification Register" which should be updated on daily basis in Manager's Office including the following:-
   (a) Number of Cows, bulls, Heifers, Male and Female calves.
   (b) The main features of the animals including colour, breed, shape of horns etc.
   (c) Place from where the animal has been brought.
   (d) By whom the animal has been brought.
4. Each calf/cow/bull has to be thoroughly examined for any injury, disability or disease. The details have to be recorded with suggested line of treatment by a vet/para vet in a "Medical Register".
5. All new arrivals should be kept for 10-14 days in a separate isolation shelter to prevent any infection affecting the existing healthy herd and also for better care and faster recovery of the sick/injured cattle.

6. In case the infection persists the infected cattle will continue to remain in the isolation ward uptill recovery.
7. Emergency cases have to be segregated and treated without any delay.
8. After segregation period, Cattle requiring further treatment should be referred to the nearest Veterinary Dispensary/Hospital or should be under observation of a Vet/ Para vet.
9. Those Cows who don't require further treatment should be segregated into following categories and housed in respective cow sheds:-
   (a) Milch cows
   (b) Heifers
   (c) Pregnant cows
   (d) Non-pregnant and Dry Cows
   (e) Weak, Infirm & Blind Cows
   (f) Bulls – to be kept separately, away from the cow sheds
   (g) The infected cattle should remain in the isolation ward as mentioned at point No.5.)
10. Weak, debilitated and infirm Cattle should be kept in the least crowded shed for proper care and feeding. This includes old, blind and lame animals.
11. Deworming and vaccination (HS, Brucellosis and FMD) should be done on arrival of the cattle as per Animal Husbandry norms (Annexure-1)
12. The Gaushala workers ("Gwalas") will be briefed by the Vet Staff about precaution to be taken while feeding the new arrivals in order to ensure their proper care.

General Guidelines for smooth functioning of the Gaushala:-

The guidelines given in succeeding paragraphs are generic in nature and may vary a little from place to place with regard to method of implementation.

Category A - Mandatory Guidelines: -

The guidelines in the succeeding paragraphs are mandatory in nature and must be followed by all gaushalas to be recognised in the State of Haryana for the well being of the cattle:

1. The Gaushalas must have adequate accommodation to house different categories of cattle on a long term basis.

A shed measuring 120'X33' can house around 200 cattle comfortably.

2. Minimum space required to shelter a cattle is as under:-
   a) Cow - 20 Sq. Ft.
   b) Bull - 30 Sq. Ft.
   c) Calf - 15 Sq. Ft.
3. A minimum maintenance ration with green fodder and dry fodder needs to be arranged for proper upkeep and health of the cattle. The cattle should be fed with feed and fodder as close to the recommended average ration as possible. The recommended average ration for all categories i.e. young calves, heifers, milking cows, dry and pregnant cows, old retired cows, sick cows, bullocks, breeding bulls is at Annexure-II.
4. There should be adequate arrangement for a proper system of drainage in the cattle sheds.
5. Sufficient ventilation is essential in the cow sheds along with ample sunlight. Arrangement of sufficient lighting during the night must be ensured in and around the sheds.
6. Periodic Vaccination of the herd in the gaushalas as per the Animal Husbandry Department

norms (Annexure-I). Proper record of the same shall have to be maintained

7. Intermittent de-worming of different categories of cattle is to be carried out.
8. Daily record of treatment carried out for all affected cattle should be maintained in the "Medical Register".
9. Adequate arrangement for drinking water, @ 35-40 litres per adult cow/bull and 3-5 litres for calves, should be made available in the Gaushala.

Sufficient potable drinking water must be kept in water troughs in the gaushalas.

For a shed with dimensions of 120'x 33', there should be at least two water troughs each measuring 7'x5'x2' in length, breadth and depth.

10. The disposal of cow dung has to be carefully planned and executed.
11. The biomedical waste should be handed over to a professional agency for further disposal on a weekly basis to avoid infection and disesae.
12. A proper record of deaths along with reasons thereof should be maintained in a separate "Mortality Register".
13. In case of any abnormal high mortality in the gaushala the concerned Deputy Director, Animal Husbandry should be informed by the gaushala authorities at the earliest possible time.
14. In such cases, the reasons for the abnormal mortality should be properly investigated, analysed and possible remedial action prescribed by the veterinary officials of the Animal Husbandry Department should be taken immediately.
15. Arrangement for disposal of carcass at a suitable distance from the gaushala shall be made.
16. All the scrub and undesired bulls shall be castrated and only breeding bulls of good quality, if required, should be maintained for natural service.
17. The gaushala accounts, including source of donations, must be maintained in a transparent manner and must be regularly audited by a reputed Chartered Accountant.The audited report/balance sheet should be properly maintained and open to scrutiny.
18. The following records / registers must be maintained by all gaushalas:-
    (a) Animal Identification Register.
    (b) Medical register
    (c) Daily Register having Category wise details of Cattle received in the gaushala on a daily basis.
    (d) Mortality Register with details of death.
    (e) Necessary Accounts Documents including those for donations received in the Gaushala.
    (f) Register for Grant-in-aid received from different Govt. agencies.
19. For larger gaushalas having herd strength of 2000 or more it is essential to have a veterinary dispensary within its premises.

Category B: Recommended Guidelines:-

The guidelines given in succeeding paragraphs are reccommendations and may vary a little from place to place with regard to method of implementation:-

1. All gaushalas shall endeavour to maintain a herd of productive cattle which may be 15% of the herd size maintained by the gaushala, with a view to move towards self sustainability. The details of productive animals should be entered in a separate "Productive Animals Register".

2. Ground level feeding practices should be encouraged in the gaushalas.
3. For stall fed cattle the mangers should be designed appropriately.
4. The cattle should be fed a Balanced Ration of both green and dry fodder along with micronutrients.

   The recommended average ration for all categories i.e. young calves, heifers, milking cows, dry and pregnant cows, old retired cows, sick cows, bullocks, breeding bulls is at Annexure-II.
5. It is recommended that gaushalas should stock dry fodder in godowns twice a year (in April/May and again in Oct/Nov) so that it remains fresh.

   Silage making technology should be adopted in the gaushala for feeding the cattle during the lean season.
6. Cow dung and urine may be converted into organic manure using aerobic composting microbes and distillates or for making other Panchgavya products.
7. Gaushalas should make efforts to make themselves self sustainable by adopting the activities as mentioned in Annexure-III.
8. Care should be taken to identify and preserve good germplasm in the form of productive indigenous breeds kept in the gaushala. The same should be reported to Animal Husbandry Department and their details must be entered in a separate "Elite Germplasm Register".
9. There should be adequate open space for the cows to roam outside the shed. The open space available for this purpose should be at about four times the space of the shed.
10. Sufficient no. of shade trees should be planted in the premises of the gaushala so that the cattle can have free approach to the shade of trees in summer season.
11. The male calves shall be castrated below the age of 18 months; except if they are elite animals.
12. The gaushala should adopt artificial inseminations for breeding the productive cattle maintained in the gaushalas for which a separate register is to be maintained.
13. Vehicles, if any, equipment, plants and machinery in the gaushala should be well maintained and kept functional at all times with log books wherever required.
14. To decongest and avoid overcrowding in gaushalas efforts should be made to distribute/sale of healthy cows/bullocks to the farmers and breeders. All entries must be recorded in a "Sale of Animals Register".
15. Necessary security arrangements should be made to avoid any chance of escape/intentional smuggling of cows from the gaushala.
16. With a view to ensure "Swachhta", hygienic conditions and to prevent disease and infection:
    a) Sufficient number of garbage bins should be available.
    b) The cow dung should not be stacked openly and the same should be put in the manure pits at a sufficient distance from the cow shelters, feed store and water troughs. Proper care should be taken for drainage and treatment of cow dung.
    c) The food, vegetables and fruits brought by visitors to the gaushala have to be checked to see if fit for consumption of cattle.
    d) Proper dunnage should be used under the bags to avoid deterioration of the feed material.
17. Training of the staff of gaushalas on a periodic basis –at least once in two years- should be conducted for management, welfare and upkeep of the Gaushala Herd.

18. For proper management of the Gaushala Herd, gaushalas may also maintain the following Records;- besides the six Mandatory Records mandated to be maintained by all gaushalas, vide point no.18 of Category A(viz. Animal Identification Register; Medical register; Daily Register; Mortality Register; Register for Grant-in-aid received from Govt and Necessary Accounts Documents):-

    a) Productive Animals Register
    b) Elite Germplasm Register
    c) Artificial Insemination Register
    d) Stock Registers for Dry & Green Fodder.
    e) Consumable and Non-consumable Stores Register.
    f) Farm Machinery Store Registers.
    g) Sale of Animals Register.

Gradation of Gaushalas:-

On the basis of the extent of adoption of these MSPs the gaushalas in the State shall be categorized into two groups i.e. "A" & "B" Category Gaushala, by the State Monitoring Units (SMUs).

Each SMU shall be made up of experts as appointed by the Government.

The SMUs shall be comprised of one representative each from:

a) Haryana Animal Husbandry and Dairying Department.
b) Haryana GausewaAayog
c) Haryana Livestock Development Board
d) An Expert from NDDB/NDRI/LUVAS

The SMUs will visit the existing Gaushalas, assess them and categorise them into"A" & "B" Grade Gaushalas; which will be valid for a period of two years. Thereafter the SMUs will revisit the gaushalas of the State to ensure that the accreditation process is updated.

All gaushalas which adopt 80% or more of these MSPs will be categorized as **AGrade** and will be eligible for getting funding under different welfare schemes of the Government. Further, the A grade gaushalas at block level shall also be declared as infirmaries under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

Gaushalas which adopt 60 to 80% of these MSPs will be graded as **B Grade** gaushalas. The B grade gaushalas will be encouraged to qualify for A grade by way of adoption of the prescribed MSPs.

The remaining gaushalas of the State which are **neither ofA nor B Grade** will be termed as **Ungraded** gaushalas. All ungraded gaushalas will endeavour to adopt these MSPs in order to be graded as A or B Grade within a period of one year. In case the gaushala continues to be Ungraded for Two Consecutive years, it shall be liable to be Deregistered.

(Rajni Sekhri Sibal)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department

Annexure-1

The Animal Husbandry and Dairying Department of Haryana recommended Cattle Vaccination & De-worming Schedule

Sr. No.	Vaccine	Species	Age	Time of Vaccination
1.	Foot and Mouth Disease (FMD) Vaccination	Bovines	6 months onwards	Twice a year 1st round in month of April and 2nd round in month of October
2.	Haemorrhagic septicaemia (H S)	Bovines	6 months onwards	Twice a year 1st round in month of June and 2nd round in month of December
3.	Brucella (Calfhood vaccination)	Bovines calves	0 to 4 months	Any time during the year as per the age of the calves
4.	Deworming	Bovines calves and Adult (male and female)	15 days onwards	Repeat every Six months

Annexure-II

The feeding schedule of different categories of cattle housed in the Gaushalas

Sr. No.	Category of Gaushala animal	Green fodder (kg/day)	Dry fodder (kg/day)	Concentrate mixture (kg/day)
1	Young calves (up to 6 months)	0.5-1.0	0.5-1.0	0.3-0.5
2	Old calves (6-12)	1.0-2.0	1.0-1.5	0.5-1.0
3	Heifers	10-15	1.5-2.0	0.5-1.0
4	Milking cows (indigenous breed)	15-20	2.0-3.0	1.5-2.0
5	Dry and pregnant cows	15-20	2.0-3.0	1.5-2.0
6	Bullocks	25-30	3.0-4.0	2.0-3.0
7	Breeding bulls	30-40	4.0-5.0	3.0-4.0
8	Old cows/retired cows/ retired bullocks	15-20	2.0-3.0	1.5-2.0
9	Old breeding bulls/retired bulls	25-30	2.0-3.0	2.0-2.5

Annexure-III

Activities to be followed by the Gaushalas to make themselves self sustainable and economically viable.

a) Production of organic manure based on aerobic composting microbes or vermicompost on a large scale for use in organic farming.

b) Production of herbal pesticides using herbs and cow urine for sale to various agencies.

c) Production of Bio-Gas to meet energy and fuel requirements like generation of electricity and bio gas.

d) Production of bio-pesticides, insecticides and Ayurvedic medicine like Panchgavya.

e) A separate sale counter for the sale of Indigenous Cow A2 milk and A2 milk value added milk products like A2Dahi, A2Khoya, A2 Paneer, A2 Kheer etc. may be established in the Gaushala.

f) Cattle breed improvement programme by adopting newer technologies of Artificial Insemination with quality indigenous germ plasm, Embryo Transfer Technology (ETT) and Invitro Fertilization (IVF).

g) Use of bullocks for Agriculture purpose and for draught power for generation of electricity. Castrated Males (bullocks) can be issued to poor farmers who can't afford to buy a tractor.

h) Cultivation of medicinal tress/ plants/ herbs.

(RajniSekhriSibal)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department